कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर

पत्रांकः E-101 /65/मनरेगा–सेल/2016–17 दिनॉकः 13 अप्रैल, 2016

–:कार्यालय आदेशः–

विषयः– मनरेगा योजना के अन्तर्गत "वर्मी कम्पोस्ट पीट" निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के क्रम में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत संरकार द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देश 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का पृष्ठ संख्या 55 एवं 56 में कार्य और उनका निष्पादन के अन्तर्गत बिन्दु (X) द्वारा वर्मी–कम्पोस्टिंग निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत **05 वर्मी कम्पोस्ट** (जनपद में 5385 वर्मी कम्पोस्ट) व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निर्मित करते हुए अभियान में लगभग **37695** मानव दिवसों का सृजन करते हुए एक बार में लगभग **16155 मैट्रिक टन** वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जायेगा। वर्मी कम्पोस्ट में अन्य जीवांश खाद की तुलना में अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। अतः उक्त के क्रम में वर्मी कम्पोस्ट पीट निर्मित कराये जाने हेतु विकास खण्डवार निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल वर्मी कम्पोस्ट लाभार्थियों का लक्ष्य (प्रति ग्राम पंचायत 5 वर्मी कम्पोस्ट)
1	बण्डा	405
2	भावलखेड़ा	460
3	ददरौल	375
4	कॉट	320
5	मदनापुर	350
6	जलालाबाद	410
7	मिर्जापुर	275
8	कलान	285
9	खुटार	295
10	पुवॉया	390
11	सिंधौली	435
12	निगोही	395
13	जैतीपुर	310
14	कटरा खुदागंज	325
15	तिलहर	355
योग		5385

2– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड में तैनात अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों से स्थलीय स्थिति के अनुसार सहायक अभियंता, डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा तैयार किये गये **(संलग्न–1)** मॉडल प्राक्कलन के आधार पर आंगणन सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कराकर तथा ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए योजना का कियान्वयन करायेगें। यह कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश 2013 के चतुर्थ संस्करण के पैरा 7.1.3 भाग (X) के रूप में सम्मिलित तथा अनुमन्य कार्यो की सूची मे है।

3– वर्मी कंपोस्ट गढ्ढा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों अथवा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों अथवा भूमि सुधारो के लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों अथवा कृषि ऋण छूट एवं ऋण राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित लद्यु और सीमान्त कृषकों अथवा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अन्तर्गत लाभार्थियों से संबंधित परिवारों द्वारा स्वामित्वधीन भूमि अथवा वासभूमि पर अनुमति दी जायेगी।

किसी परिवार के लिए मनरेगा के तहत दूसरा वर्मी कंपोस्ट गढ्ढा तैयार करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि इस कार्य को करवाने के लिए इच्छुक मनरेगा के सभी पात्र परिवार के यहॉ एक वर्मी कंपोस्ट गढ्ढा बना दिया गया है।